भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 1637

(जिसका उत्तर मंगलवार, 4 अगस्त, 2015 को दिया गया)

<u>कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत युद्ध में शहीद हुए अर्द्ध-सैनिक बलों के कार्मिकों के परिवारों को शामिल किया जाना</u>

1637. श्री विजय जवाहरलाल दर्डा :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारपरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर.) संबंधी वर्तमान नियमों में, सेवानिवृत्त सैनिकों और युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं हेतु सहायता का प्रावधान है; और

(ख) क्या सरकार उग्रवाद-रोधी अथवा आतंक-रोधी कार्रवाइयों में अपनी जान गंवाने वाले अथवा अशक्त बनाने वाली चोटों से ग्रस्त होने वाले अर्द्ध-सैनिक बलों के कार्मिकों की विधवाओं और परिवारों को भी इसमें शामिल करेगी?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली)

(क): कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII में कंपनियों द्वारा अपनी कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) नीतियों के तहत की जाने वाली गतिविधियों का उल्लेख है। इस अनुसूची की मद संख्या (vi) में 'सशस्त्र सेनाओं के सेवानिवृत्त सैनिकों, युद्ध मैं शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं और उनके आश्रितों के हितों के लिए उपाय' का उल्लेख है।

(ख): अनुसूची-VII में किसी प्रकार का संशोधन सरकार के विचाराधीन नहीं है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत किसी निश्चित सीमा से अधिक लाभ कमाने वाली कंपनियों को पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अपने औसत शुद्ध लाभ का न्यूनतम 2 प्रतिशत सीएसआर

गतिविधियों पर व्यय करना है अथवा व्यय न कर पाने पर उसके कारणों का उल्लेख करना अपेक्षित है। कंपनियां अनुसूची-VII में सूचीबद्ध या अन्य गतिविधियों पर इस प्रतिशतता से अधिक राशि भी व्यय कर सकती है।

*****